

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026 — फाल्गुन 1, शक 1947

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक/LAW/3547/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार में "संरक्षित वनों" के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इस शर्तों के अध्याधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपांतरित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड भटगांव (भाग-2) उत्तर अक्षांश N 23°22' 06.33" से N 23° 22' 42.40" एवं पूर्वी देशांश E 82° 58'30.63" से E 82° 59'25.23" के बीच स्थित है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला-सूरजपुर, तहसील-भटगांव, वनमण्डल-सूरजपुर, वन परिक्षेत्र-सूरजपुर						
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं.	भूमि की वर्तमान मद	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति /सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1	भटगांव (भाग-2)	भटगांव पटवारी हल्का नं. 22	एस.ई.सी.एल को भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग के अधिसूचना क्रमांक 684(ई) दिनांक 8.11.1978 के माध्यम से कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत प्राप्त भूमि	413	3.487	निकटतम वन कक्ष क्रमांक पी 1692 एवं दूरी- 2.00 कि.मी.
				414	9.68	
				978	23.662	
				415	12.261	पूर्व:- कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 8 से 10 एवं मुनारा क्रमांक 10 से कुसमुण्डा कोल माईन्स का ए.सी.ए भूमि सर्वे मुनारा क्रमांक 1 के नीचे मुनारा क्रमांक 70 एवं मुनारा क्रमांक 70 से 66 तक
				780	0.079	दक्षिण:- कुसमुण्डा कोल माईन्स का ए.सी.ए भूमि कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्रमांक 66 से प्रस्तावित खण्ड
				977	9.80	
				412	2.069	
				991	8.356	
				408	4.79	
				407	20.109	पश्चिम:- कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 36 से 92 एवं मुनारा क्रमांक 92 से 1 तक
योग :-					94.293	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th February 2026

क्रमांक/LAW/3547/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना LAW/3547/2025-FOREST दिनांक 17-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.आर. सोन्टापर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th February 2026

NOTIFICATION

No./LAW/3547/2025-FOREST.— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby declares that the provisions relating to "Protected Forest" mentioned in Chapter IV of the said Act will be applicable to the areas specified in the Schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bhatgaon (Part-2) lies between N 23°22' 06.33" to N 23°22' 42.40", North Latitude and E 82°58'30.63" to E 82°59' 25.23" East Longitude, namely:-

SCHEDULE

District:- Surajpur, Tahsil:- Bhatgaon, Forest Division:- Surajpur, Forest Rang:- Surajpur						
S.No.	Name of Forest Block	Name of Village and Patwari Halka No.	Present Head of Land	Khasara No.	Area (in hec.)	Territorial/Limits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bhatgaon (Part-2)	Bhatgaon Patwari Halka No 22	SECL received land under the Coal Bearing Act 1957 through Notification No. 684 (E) dated 28.11.1978 of the Government of India, Ministry of Power, Department of Coal.	413	3.487	Nearest Forest Compartment. No. P 1692 and Distance - 2.00 K.M
				414	9.68	
				978	23.662	North:- Artificial boundary line Survey Pillar Number 1 to 8
				415	12.261	
				780	0.079	East :- Artificial boundary line Survey Pillar Number 8 to 10 and 10 to Kusmunda Coal Mines ACA Land Survey Pillar Number 1 under Pillar Number 70 & Pillar Number 70 to 66
				977	9.80	
				412	2.069	South :- Kusmunda Coal Mines ACA Land Survey Pillar Number 66 to Proposed block Artificial boundary
				991	8.356	
				408	4.79	West :- Artificial boundary line Survey Pillar Number 36 to 92 & Pillar Number 92 to 1
				407	20.109	
Total :-					94.293	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Special Secretary.